प्रेस नोट–219 / 2026

दिनांक 22.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 22.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई** द्वारा श्री सौरभ सिंह निवासी ग्राम चाहरपुर थाना भरतपुर जनपद शाहजहाँपुर से गेहूं क्रय किये जाने पर प्रति कुन्तल 100 रूपये अलग से रिश्वत के रूप में लिये जाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री प्रवीण शान्याल के नेतृत्व में नवीन मण्डी तिलहट, आरएफसी केन्द्र प्रथम व द्वितीय तिलहट जनपद शाहजहाँपुर से **क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ पटेल (नवीन मण्डी तिलहट शाहजहाँपुर)** पुत्र स्व0 राम आसरे पटेल निवासी ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ हालपता जलालाबाद रोड थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को **09 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–220/2026
दिनांक 22.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.04.2026 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरजन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरजन निवासी ग्राम चमरौवा थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.04.2026 को थाना कोतवाली भिनगा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंटा तिराहा से राजपुर रोड मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमरेश उर्फ अमरेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी

की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, गोण्डा, बहराइच के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली भिनगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमरेश उर्फ अमरेन्द्र निवासी मध्नगर दा0 मनोहरपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नरेश 2–रमेश 3–शाहबाज उर्फ शैलू 4–राशिद को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452/504

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नितिन 2–अमित उर्फ मोनू को आजीवन कारावास व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 127(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवीदीन को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना पाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––